

लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ करें कार्रवाई

दूसरे राज्यों के नवाचारों को अपनाने काययोजना बनाएं

प्रशासनिक संवाददाता भोपाल, 1 जून. प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं और कार्यक्रमों को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी. ऐसे मामलों में संबंधितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को मंत्रालय में विभाग की समीक्षा की.

इस दौरान उन्होंने साफ किया कि मैदानी स्तर पर बेहतर कार्य करने वालों को एकतरफ

महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम ने दिए निर्देश



प्रोत्साहित करें तो वहीं लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई भी करें.

बैठक में सीएम ने कहा कि विभाग की योजनाओं के

क्रियान्वयन में अधिक से अधिक जन भागीदारी और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए. महिलाओं और बच्चों के कल्याण से संबंधित योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार हो. बच्चों और महिलाओं में पोषण स्तर को बेहतर करने के लिए संचालित गतिविधियों में स्वास्थ्य, स्कूल शिक्षा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास सहित निजी अस्पतालों और संस्थाओं को भी जोड़ा जाए. इस दिशा में अन्य राज्यों और प्रदेश के जिलों में हो रहे सफल नवाचारों को अपनाने के लिए भी

कार्ययोजना बनाई जाए. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जिन औद्योगिक इकाइयों में महिला कर्मियों की संख्या अधिक है, उन इकाइयों में कामकाजी महिलाओं के लिए पीपीपी मोड पर हॉस्टल निर्माण की कार्ययोजना बनाई जाए. बैठक में बताया गया कि देवास, नर्मदापुरम, झाबुआ और सिंगरौली में वर्किंग वुमेन हॉस्टल का निर्माण प्रारंभ हो गया है. प्रताड़ित महिलाओं को सहायता उपलब्ध कराने के लिए पाटुर्णा, मऊगंज, मैहर, पेटलावद-झाबुआ, इंदौर के लसुडिया और

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बीमा योजना के दायरे में
बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 5 से 6 आयु वर्ग के 9 लाख 28 हजार बच्चों के लिए विद्यार्थ आर्योजित कर उन्हें विद्यार्थ प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया गया और बच्चों का शाला में सुगम प्रवेश सुनिश्चित किया गया. वहीं सक्षम आंगनवाड़ी उन्नयन के के तहत प्रदेश में एक साथ 12 हजार 670 मिनी केंद्रों को मुख्य आंगनवाड़ी के रूप में उन्नत कर मध्य प्रदेश में अग्रणी बना है. बैठक में बताया गया कि प्रदेश की सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को बीमा योजना से लाभान्वित किया गया है.

सांवेर एवं धार के मनावर और पोथमपुर में वन स्टॉप सेन्टर स्वीकृत किए गए हैं. चाइल्ड हेल्पलाइन अंतर्गत 51 जिला स्तरीय और एक राज्य स्तरीय हेल्प

सेंटर के माध्यम से 66 हजार से अधिक बच्चों को सहायता उपलब्ध कराई गई. जोखिम प्रस्त बच्चों की मैपिंग के लिए 13 जिलों में प्रक्रिया जारी है.



प्री-मानसून के सक्रिय होने से बदला मौसम का मिजाज

जिलों में अरेंज और यलो अलर्ट जारी

हवा के साथ भोपाल में हुई बूंदबांंदी

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 01 जून. मध्य में प्री-मानसून के सक्रिय होने से मौसम का मिजाज बदला रहा है. जून महीने के शुरुआत के पहले दिन भीषण गर्मी से लोगों को राहत महसूस हुई. दोपहर के समय तक सूरज और बादलों की आंख मिचौली के बाद बादलों के छाने से हवा में ठंडक का एहसास हुआ. भोपाल में शाम के करीब 4 बजे के बाद मौसम पूरी तरह ठंडा रहा. इस दौरान कहीं कहीं हल्की बूंदबांंदी भी हुई. इंदौर में धूल भरी आंधी चली. आंधी चलने से कई स्थानों पर पेड़ और बिजली के पोल भी गिर गए. इसके साथ प्रदेश के मंदसौर, नीमच, छतरपुर और टीकमगढ़ में तेज हवाओं के चलने और वज्रपात की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था. आगामी 2-3 दिनों के दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून के

5 जून तक आंधी, बारिश की संभावना

मौसम वैज्ञानिक डॉ. एएसएस तोमर की मानें तो इस साल मानसून अपनी सामान्य गति से आगे बढ़ रहा है. यदि मानसून की रफतार इसी तरह बनी रही, तो 15 से 20 जून के बीच मानसून मध्य प्रदेश में प्रवेश कर जाएगा. सीहोर और आसपास के जिलों में 20 से 22 जून तक अधिकारिक रूप से मानसून के सक्रिय होने की पूरी संभावना है. तब तक जिले में इसी तरह की प्री-मानसून बौछारें रुक-रुक कर देखने को मिलती रहेंगी, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलती रहेगी.

पूर्व अरब सागर के कुछ और भागों, लक्षद्वीप क्षेत्र, केरल एवं तमिलनाडु के कुछ भागों, दक्षिण-पश्चिम, पश्चिम-मध्य, पूर्व-मध्य एवं उत्तर-पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ और भागों तथा दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी के शेष भागों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल हैं.

पेज एक का शेष

12 साल बाद कर्क राशि में आएंगे देवगुरु बृहस्पति

वृश्चिक -भाग्य का साथ मिलेगा. उच्च शिक्षा, धार्मिक यात्राओं और विदेश से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है. धनु-अचानक धन लाभ और जीवन में बड़े बदलाव संभव हैं. स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. मकर - विवाह और साझेदारी से जुड़े मामलों में शुभ परिणाम मिल सकते हैं. दांपत्य जीवन बेहतर होगा. कुम्भ-प्रतियोगी प्रतियोगी, नौकरी और कानूनी मामलों में सफलता मिलने के योग हैं. मीन-शिक्षा, प्रेम, संतान और रचनात्मक कार्यों में सफलता प्राप्त हो सकती है. विदेश से भी लाभ मिल सकता है. **किन राशियों को होगा सबसे अधिक लाभ?** गुरु के इस उच्च गोचर से कर्क, कन्या, तुला, वृश्चिक और मीन राशि के जलकों को विशेष लाभ मिलने की संभावना है. करियर, धन, विवाह, शिक्षा और भाग्य के क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं. यह फलादेश वैदिक ज्योतिष के पारंपरिक सिद्धांतों पर आधारित सामान्य विश्लेषण है. व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार परिणाम भिन्न हो सकते हैं.

गिरिबाला और समर्थ को लेकर पहुंची सीबीआई

04 दिन से हो रही है आरोपियों से पूछताछ

03 दिन तक भोपाल में ही रुका था समर्थ सिंह

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 01 जून. सीबीआई की टीम सोमवार को टिवशा शर्मा मौत के मामले में कटारा हिस्से स्थित पूर्व जज गिरिबाला सिंह के आवास पर पहुंची. घटना की जांच करते हुए सीबीआई ने टिवशा के बनवाए गए पुतले को लेकर सीन री-क्रिएशन किया. इस दौरान आरोपी गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह भी मौजूद रहे.

जानकारी के मुताबिक आरोपियों की मौजूदगी में ही अधिकारियों ने करीब 80 किलो वजन की बने पुतले को फंदे पर लटका और उतार कर सीन री-



क्रिएशन किया और उस समय की स्थिति को जानने की कोशिश भी की. सीबीआई के अधिकारियों ने इस दौरान घटना के समय मौजूद घर के सामानों को उसी तरह से रखवाए भी. सीबीआई ने यह सीन री-क्रिएशन तब किया, जब आरोपियों से करीब 4 दिन की पूछताछ हुई और उनके तब के बयान और बाद के बयानों को स्पष्ट किया जा सके. दोनों ही आरोपियों के बयान घटना के दिन और घटना के बाद से कितना मेल खाते हैं. इसका भी अधिकारियों की तरफ से क्रास चेक किया गया. बताया गया है कि समर्थ ने घटना के दौरान बताया था कि उसने ही टिवशा को फंदे से उतारा था, जबकि मां गिरिबाला ने फंदे की गांठ खोली थी. पूरे मामले की गहनता से सीबीआई जांच जारी है. खबर सामने आई है कि सीबीआई के



अधिकारियों ने टिवशा का पुतला तैयार करने का निर्णय तब लिया, जब दोनों ही आरोपियों से घटना के दौरान की गई पूछताछ और बाद में की गई पूछताछ में कुछ संदेह हुआ. इसके साथ ही घटना स्थल पर देखे गए फंदे की ऊंचाई और टिवशा का उस ऊंचाई तक पहुंच पाना कितना कठिन या आसान था. टिवशा के पुतले का वजन 80 किलो करने के लिए उसमें रेत भरी गई. इसके साथ ही और पुतले के बने पांव पर लोहे के डंबल भी बांधे गए. दोपहर के करीब दो घंटे तक अधिकारियों ने सीन री-क्रिएशन किया. टिवशा की मौत के मामले में सीबीआई के अधिकारियों को पति समर्थ सिंह के बारे में भी खास जानकारी लगी है. बताया जा रहा है कि घटना के बाद समर्थ करीब 3 दिन तक भोपाल में ही रुका था. इसके बाद

आज कोर्ट में पेश हो सकते हैं आरोपी

टिवशा की मौत के मामले में आरोपी रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह को सीबीआई मंगलवार को दोपहर बाद कोर्ट में पेश कर सकती है. दोनों ही आरोपियों की रिमांड 2 जून को पूरी हो रही है. गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने दोनों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर मांगा था. कोर्ट ने दोनों ही आरोपियों को 5 दिन के रिमांड पर भेजा था. कोर्ट में आरोपियों की रिमांड बढ़ाने के लिए सीबीआई के अधिकारी मांग कर सकते हैं.

डॉक्टर से भी पूछताछ

मामले में टिवशा का गर्भपात कराने वाले डॉक्टर को भी इस पूरे मामले में खास तौर पर देखा जा रहा है. आरोप है कि टिवशा ने गर्भधारण के बाद जिस डाक्टर के पास चेकअप कराया था. उस डाक्टर ने गर्भपात कराने की सलाह दी थी. सीबीआई के अधिकारियों ने संबंधित डॉक्टर को भी पूछताछ के लिए तलब किया है.

वह जबलपुर पहुंच गया था और वहां पांच दिन रुका. इस दौरान समर्थ का साथ देने वाले लोगों को भी आरोपी बनाने की तैयारी की जा रही है.

गवाह के साथ मारपीट: यह भी जानकारी सामने आई है कि

टिवशा की मौत के मामले में बनाए गए गवाह के साथ आरोपी समर्थ के दोस्तों ने मारीपीट भी की है. टिवशा की मौत के मामले में नीरज दुबे का व्यक्ति गवाह हैं. आरोप है कि समर्थ के करीब पांच दोस्तों ने मिलकर नीरज दुबे के साथ 30 मई को मारपीट कर दी.

इस घटना का कथित वीडियो भी सामने आने की जानकारी आई है. दुबे की दुकान पूर्व जज गिरिबाला सिंह के घर के पास ही है और घटना वाले दिन भी वह मकान के पास ही थे. आरोप है कि समर्थ के दोस्त संदीप भट्टाचार्य और उसके चार दोस्तों ने नीरज दुबे की पिटाई की है. संदीप और उसके दोस्तों ने नीरज से मामले में गवाह बनने की बात पुछते हुए मारपीट की है. इस मामले को भी गंभीरता से सीबीआई के अधिकारी गंभीरता से ले रहे हैं.

पटवारी के खिलाफ टिप्पणी पर कांग्रेस नाराज

सीएम की टिप्पणी पर वरिष्ठ नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की

विशेष संवाददाता

भोपाल, 01 जून. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर की गई टिप्पणी को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है. मुख्यमंत्री के बयान के खिलाफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे संवैधानिक पद की गरिमा के विपरीत बताया है.

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री की टिप्पणी की आलोचना करते हुए कहा कि किसी गरिमामय संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को राजनीतिक



विरोधियों के प्रति ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए.

उन्होंने कहा कि उच्च पदों पर आसीन जनप्रतिनिधियों से लोकतांत्रिक मूल्यों और राजनीतिक मर्यादा के पालन की अपेक्षा की जाती है. पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी मुख्यमंत्री के

कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने मुख्यमंत्री की टिप्पणी को अस्वीकार्य बताते हुए कहा कि जीतू पटवारी देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को अपने संवैधानिक पद की गरिमा बनाए रखते हुए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए. प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता डॉ. विक्रम चौधरी ने भी मुख्यमंत्री की टिप्पणी को संवैधानिक पद की मर्यादा के प्रतिकूल बताते हुए तत्काल माफी की मांग की. उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए राजनीतिक संवाद में शिष्टाचार और गरिमा का पालन आवश्यक है.

बयान की निंदा करते हुए कहा कि डॉ. मोहन यादव को अपने पद की गरिमा बनाए रखनी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और उसके नेताओं के खिलाफ अत्यंत आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है. कमलनाथ ने कहा कि

राजनीतिक मतभेदों के बावजूद सार्वजनिक जीवन में शालीनता और संयम बना रहना चाहिए. विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि यदि उन्हें "रही" और "दो कोड़ी का" कहा जा रहा है तो उन्हें इस बात पर गर्व है कि वे एक किसान के बेटे हैं.

विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

नवभारत न्यूज

सरई 1 जून। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर ग्राम पंचायत सरई टोला में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत एक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का उद्देश्य किशोरों, युवाओं एवं ग्रामीण जनों को तंबाकू तथा अन्य नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम में मास्टर प्रशिक्षक प्रदीप कुमार यादव के नेतृत्व में जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें स्कूली छात्र-छात्राओं और ग्रामीणों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। रैली के दौरान हाथों में जागरूकता संदेश लिखी तख्तियां लेकर लोगों को



नशामुक जीवन अपनाने का संदेश दिया गया। प्रतिभागियों ने तंबाकू एवं अन्य मादक पदार्थों के सेवन से दूर रहने की शपथ भी ली। इस अवसर पर वक्ताओं ने बताया कि तंबाकू का सेवन न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करता है, बल्कि यह परिवार और समाज के लिए भी चिंता का विषय है। धूम्रपान एवं गुटखा सेवन से कैंसर, हृदय रोग, श्वसन संबंधी बीमारियों सहित अनेक

घातक रोगों का खतरा बढ़ जाता है। उपस्थित लोगों को नशे के दुष्परिणामों की विस्तृत जानकारी दी गई तथा स्वस्थ एवं सकारात्मक जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम को आशा साथी आरती सिंह, अभिभावक छोटी देवी यादव, बदबद यादव सहित अनेक गणमान्य नागरिक एवं ग्रामीणजन मौजूद रहे।

सिंगरौली में बढ़ती घटनाओं के विरोध में विहिप-बजरंग दल सौपेगा ज्ञापन

4 जून को शिव मंदिर माजन मोड़ से होगा एकत्रीकरण

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 1 जून। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल जिला सिंगरौली द्वारा जिले में कथित रूप से बढ़ रही लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण एवं अवैध नशाखोरी की घटनाओं के विरोध में एसपी को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में संगठन द्वारा विज्ञप्ति जारी कर सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों एवं



धर्मप्रेमी नागरिकों से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की गई है। जारी सूचना के अनुसार आगामी 4 जून को दोपहर 3 बजे शिव मंदिर, माजन मोड़ में कार्यकर्ताओं का

विहिप-बजरंग दल पदाधिकारियों ने कहा कि जिले में समाज विरोधी गतिविधियों को लेकर लोगों में आक्रोश है। संगठन ने प्रशासन से ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाने तथा कानून व्यवस्था को मजबूत करने की मांग की है। संगठन की ओर से सभी कार्यकर्ताओं एवं धर्मप्रेमी बंधुओं से समय पर उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाने का आह्वान किया गया है।

सीईओ जिला पंचायत ने की समयावधि पत्रों की समीक्षा

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 1 जून। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जगदीश गोमे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में समय-सीमा की समीक्षा बैठक आयोजित हुई।

बैठक के दौरान जनहित से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों को कड़े दिशा-निर्देश जारी किए गए। सीईओ ने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए नान-अटेंडेड शिकायतों पर सख्त रुख अपनाना और अधिकारियों को



निर्देशित किया कि 50 एवं 100 दिवस प्लस की सभी लंबित शिकायतों का आगामी सप्ताह तक हर हाल में 60 प्रतिशत तक निराकरण सुनिश्चित किया जाए। राज्यस्व मामलों पर चर्चा करते हुए उन्होंने आमजन से जुड़े प्रकरणों

जैसे नामांतरण, सीमांकन और बंटवारा के साथ-साथ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने से संबंधित सभी लंबित मामलों का समय-सीमा के भीतर त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए।

नागरिकों द्वारा प्रदान की गई उपयोगी एवं तथ्यात्मक जानकारी राज्य के राजस्व संरक्षण, कर अपवंचन पर प्रभावी नियंत्रण तथा कर प्रशासन को अधिक पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आयुक्त वाणिज्यिक कर अमर बिदेदी ने अपील की है कि नागरिक राज्यहित में इस मांड्यूल का जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करें तथा कर अपवंचन की रोकथाम एवं राजस्व वृद्धि में सहभागी बनें.

नाम परिवर्तन सूचना

मै घोषणा करता हूँ कि मेरे पासपोर्ट मे मेरा नाम JASVINDER SINGH BHATIA लिखा था जिसे मैं बदल (सुधार) कर अब अपना नया नाम SARDAR JASVINDER SINGH S/O INDAR SINGH कर लिया है कृपया अब से मुझे नये नाम SARDAR JASVINDER SINGH S/O INDAR SINGH के नाम से जाना एवं पहचाना एवं संबंधित किया जाय एवं आगे के सभी दस्तावेजों में दर्ज किया जाना तथा मेरे निवास का पता- DALI BABA NEAR SATNA PUBLIC SCHOOL P.O. SATNA, RAGHURAJNAGAR, SATNA, (M.P.) है।

न्यायालय, आयुक्त कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1987 न्यायालय सतना मप्र09

प्रकरण क्रमांक 26/26 डब्लू सी थिओ

रानी देवी व अन्य

-वामन-

डी डी प्रोजेक्ट

सूचना-पत्र

उपरोक्त प्रकरण में आपकी। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मुक्त राजनैट केवट का अनावेक क. 01 डी डी प्रोजेक्ट में काम करते हुए दिनांक 23.09.19 को दुर्घटना में मृत्यु हो गई है. निवेदना ने क्षतिपूर्ति धन रु. 13.86,617/- मृतक के आश्रितों को वितरण के लिए जमा करवाया है।

उपरोक्त प्रकरण में क्षतिपूर्ति धन के वितरण हेतु सुनवाई दिनांक 22.06.2026 को नियत की गई है।

अतः जो व्यक्ति/आप कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम की धारा 2 डी के अंतर्गत मृतक के आश्रित हों तो वह सुनवाई दिनांक 22.06.2026 को टीक 11.00 बजे उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र एवं सत्य नियमानुसार प्रस्तुत करें। मृतक के आश्रित होने के प्रमाण हेतु स्थानीय मजिस्ट्रेट कलेक्टर या किसी शासकीय विज्ञापित अधिकारी द्वारा स्वयं का चित्र सत्यापित करवाकर पहचान हेतु प्रस्तुत करें। यदि हो तो मृतक के नाबालिग बच्चों को भी साथ ले आवें। साथ ही मृतक के आश्रित का स्थानीय पंचायत या नगर पालिका का प्रमाण पत्र एवं दो गवाह भी ले आवें। मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 15.04.26 को जारी किया गया।

अदालत की मुद्रा

आयुक्त कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधि0 न्याय न्यायालय सतना मप्र09